(2)

APP-A
Crim-I

FORM No. IH

फर्द अहकाम

(नियम 26)

[illegible]त उपखण्ड अधिकारी मुकाम नगर

मैमून खाँ बनाम तहसीलदार नगर

[illegible]कदमा प्रा०पत्र 136 LRAct नं. 01 सन 2014

[illegible]	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
[illegible].14	प्रार्थी मैमून खाँ पुत्र शेर सिंह उर्फ शेर खाँ पुत्र जगमाल कौम मेव नि० ग्राम बरखेड़ा सदर तहसील नगर ने यह प्रा०पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी के पिता शेर सिंह उर्फ शेर खाँ पुत्र जगमाल की मृत्यु हो जाने के बाद ख०नं. 222/0.11, 223/0.30, 224/0.53, 227/0.34, 229/0.32, 232/0.11, 233/0.38, 234/0.12 तथा 9/0.45 वाके बरखेड़ा सादर का विरासत में शरीफन, जयकरम, अकबर, मामूरी, मौटो, रहीस के नाम जरिए नामा० सं. 218 राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुए। प्रार्थी का नाम मैमून खाँ है, जबकि प्रार्थी का नाम 'जयकरम' गलत दर्ज किया गया है, जो काबिल दुरुस्ती है। अंत में निवेदन किया है कि प्रा०पत्र स्वीकार कर प्रार्थी का सही नाम जयकरम के स्थान पर मैमून खाँ दुरुस्त किया जावे। इस प्रार्थना-पत्र पर [illegible] तहसीलदार नगर जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार ने अपनी जांच रिपोर्ट में अंकित किया है कि रिपोर्ट पटवारी हल्का बरखेड़ा [illegible] पटवारी [illegible] सादर, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत [illegible] जन्म प्रमाण-पत्र [illegible] प्रार्थी का सही नाम मैमून खाँ [illegible] के स्थान पर मैमून खाँ [illegible] की जाती है। प्रार्थना-पत्र धारा 13[illegible] R.A.C. [illegible] के अन्तर्गत दर्ज रजि० किया जावे। [illegible] के निर्देश [illegible] जावे।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.04 12:27:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	नायब तहसीलदार नगर की रिपोर्ट सुनी तथा प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। नकल नामा-सं 218 वाके ग्राम बरखेड़ा खुर्द के अनुसार शेर सिंह पुत्र जगमाल कौम मेव सा० देह गैर खातेदार हि. 1/2 किता 8 रकबा 2.21 हैक्टे० तथा ख.नं. 2/0.45 पर मु० खरीदकर बेचा शेरसिंह व जयक्रम, अकबर पिता शेरसिंह, मामरी, मोटी, रहीसा पुत्री शेरसिंह का नाम दर्ज किया जाना साबित है। राज्य सरकार जन्म मृत्यु पंजीयन ग्राम पंचायत सिरचन्दां एवं फोटो प्रति मतदाता सूची 2013 विधान सभा नगर की भाग सं. 64 की क्र० सं. 13 पर भी प्रार्थी का नाम मैमन खां दर्ज है जिसकी पुष्टि तहसीलदार (कामेश्वरी) नगर ने भी अपनी जांच रिपोर्ट में की है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है तथा नामा० सं 218 वाके ग्राम बरखेड़ा खुर्द में दर्ज जयक्रम के स्थान पर मैमन खाँ दुरुस्त किया जाता है। इसी प्रकार जमाबंदी में अंकन दुरुस्त किया जावे। तहसीलदार नगर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।
	[signature]
	उपखण्ड अधिकारी नगर (भरतपुर) राज.

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.04 12:27:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner